

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 48

तारीख 31/3/23

मोहनी पत्नि भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

नन्दूबाई पत्नि नारायण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 20/4/23

प्रार्थना पत्र मोहनी पत्नि भवानीलाल जाति धाकड़ निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 249 पर अंकित आराजी संख्या 1184/763 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 249 पर अंकित आराजी संख्या 1184/763 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 48/23

तारीख 20/4/2023

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 48 ..... / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

मोहनी पत्नि भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

नन्दूबाई पत्नि नारायण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है कि मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 249 पर अंकित आराजी संख्या 1184/763 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें।



पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा